

01. 08. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्त 1. सुनील झा की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ जमानत आवेदन पत्र एवं उभय पक्षों के निशान एवं हस्ताक्षरयुक्त संधिपत्र एवं सूचक की ओर से नवीन अधिकार पत्र के साथ अनुमति पत्र दाखिल किया गया। जिसकी प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई है।

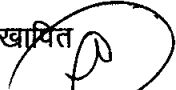
वाद पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थी निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक 07. 04. 17 को खंडित किया गया है। उभय पक्षों के बीच संधि हो गया है। सूचक भी न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। प्रार्थी अपने सक्षम जमानतदारों द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध नहीं किया गया।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त का बंधपत्र दिनांक 07. 04. 17 को खंडित किया गया है। उभय पक्षों के बीच संधि हो गया है। सूचक भी न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। कहते हैं कि जमानत दे दिया जाय। संधि के आधार पर प्रार्थी को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव इनके सक्षम जमानतदारों द्वारा 5000 X2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित 
न्या० दण्डा० प्र० श्रेणी, पुपरी

01. 08. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्त के जमानतदारों द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित 
न्या० दण्डा० प्र० श्रेणी, पुपरी